सं. 16/35/2016-रा0भा0(सेवा)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

***

एनडीसीसी–II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001,

दिनांक: 2 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में दिनांक 6.1.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

****

सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों की शासकीय कामकाज में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए दिनांक 6 जनवरी, 2017 को एन डी सीसी बिल्डिंग-।।, नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई । बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त ।

2.2.17
(यशपाल देवगन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23438150

1. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण (सूची संलग्न है) ।
2. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी से अनुरोध है कि कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव (राभा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव ।

<u>केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सचिव (रा.भा.) की अध्यक्षता में दिनांक 6.1.2017 को प्रात: 10.30 बजे हुई बैठक का कार्यवृत</u>

बैठक की शुरुआत करते हुये सचिव (राजभाषा) ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ । जब भी विभाग में कोई नया सचिव (राजभाषा) कार्यभार ग्रहण करता है तो संवर्ग के लोगों की सचिव से मुलाकात करने की रफ्तार बढ़ जाती है लेकिन बाद में कम हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी मुलाक़ात निरंतर होती रहे । आज की यह बैठक इस बात पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई है कि आपके विभागों में हिंदी की क्या प्रगति हुई है, क्या समस्या है और समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या किया जा सकता है । बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-1 पर है ।

2. तदुपरांत संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोग अलग-अलग समूहों में व्यक्तिगत रूप से मिलने आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। अत: हमने सबको आमंत्रित किया है ताकि एक साथ उन समस्याओं पर विचार किया जा सके जो आप लोगों के समक्ष आती हैं । उप सचिव (सेवा) का प्रजेंटेशन होगा । निदेशक (कार्यान्वयन) भी एक प्रेजेंटेशन करेंगे । उसके बाद आप लोग अपनी बात रखेंगे। आप सबसे यह अनुरोध है कि राजभाषा विभाग को भेजी जानेवाली सभी रिपोर्टों में बिल्कुल सही तथ्यों और आँकड़ो का विवरण दें । आप सबको अच्छा कार्य करना है क्योंकि आप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हमारे 'राजदूत' हैं ।

3. इसके पश्चात सभी मंत्रालयों/विभागों से आये लोगों ने अपना-अपना परिचय दिया। इसके बाद सचिव (राजभाषा) ने पुन: बताया कि जब उन्होंने सचिव (राजभाषा) के पद पर 29 नवम्बर, 2016 को कार्यभार ग्रहण किया है तो नामपट्टी पर पहला नाम रामधारी सिंह 'दिनकर' जी का नाम देखा तो एक बहुत रोमांचकारी अनुभूति हुई । श्री दिनकर जी भारत सरकार के प्रथम हिंदी सलाहकार थे । उनकी पंक्तियां हैं -

गवाक्ष तब भी था, जब वह खोला नहीं गया
सत्य तब भी था, जब वह बोला नहीं गया ।

इन प्रेरक पंक्तियों का भावार्थ है हर स्थिति में सत्य का साक्षात्कार, भले ही कभी-कभी वह प्रत्यक्ष व प्रकट न दिखे ।

4. सचिव (राजभाषा) ने कहा कि हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राजभाषा के कार्य को कैसे हम मौलिक बनायें व उसे गति दें। मौलिकता बिना सत्य व साहस के नहीं आ

सकती । आप सब लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं । 100 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं । विदेशों में भी हिंदी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। डिमॉनेटाइजेशन का पारिभाषिक अनुवाद 'विमुद्रीकरण' है जबकि आम जनता विमुद्रीकरण नहीं, नोटबंदी ज्यादा समझती है । कहने का आशय यह है कि सभी लोग प्रचलित व्यावहारिक एवं सरल हिंदी का प्रयोग करने की कोशिश करें, जमीनी रुप से जो चल रहा है, उसे चलाएं । विभागों में मूल काम हिंदी में हो तो राजभाषा संवर्ग के अधिकारीगण शब्दावली निर्माण, प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान दे सकेंगे । विभागों में प्रत्येक स्तर पर हिंदी में कार्य करने का माहौल बने, इस हेतु हमें प्रयासरत रहना है । जो तमिल भाषी हैं, तेलगु भाषी हैं या अन्य हिंदीतर भाषी हैं उन्हें हम प्रबोध, प्राज्ञ, प्रवीण पढ़ायें व उनका पथ-प्रदर्शन करें । हमें सहयोगी, समन्वय व पथप्रदर्शक की भूमिका निभानी होगी ।

5. उपसचिव (सेवा) ने प्रजेंटेशन के द्वारा सभी पदों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया। पूरे कैडर में 1013 पद हैं जिसमें से 364 पद खाली हैं ।

6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) ने विभिन्न हिंदी टूल्स के बारे में बताया व गूगल वाइस टाइपिंग पर प्रस्तुतीकरण दिया । उन्होंने अनुरोध किया कि इन टूल्स के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दें व इनके प्रयोग हेतु अभिप्रेरित करें । ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट में सही आंकड़े दें, व समय से भरें ।

7. निदेशक (कार्यान्वयन) ने बताया कि राजभाषा नियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है । राजभाषा हिंदी के माध्यम से भाषायी एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है । राजभाषा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय 8 हैं । राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु कई प्रोत्साहन योजनाएं हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए भी प्रोत्साहन योजनाएं हैं। इसके अलावा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार है । हिन्दी पत्रिकाओं में उत्कृष्ट लेख लिखने वाले लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए भी योजना है । इन योजनाओं का व्यापक प्रचार - प्रसार किया जाए ताकि ये योजनाएँ अधिक लोगों तक पहुँच सकें । तिमाही प्रगति रिपोर्ट बहुत से बाकी बचे कार्यालयों से अभी भी आनलाइन नहीं मिल रही है । जिन कार्यालयों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे कृपया अपने कार्यालय का पंजीकरण करा लें तथा आनलाइन रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ।

8. सचिव (राजभाषा) ने बताया कि जो भी अधीनस्थ/उपक्रम स्वायत्त निकाय हैं, उन सबका दायित्व है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर प्राप्त होनी चाहिए । कोई दिक्कत हो तो राजभाषा विभाग को सूचित करें, तत्पश्चात, विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह स्थिति बदलनी चाहिए, शत-प्रतिशत ऑन-लाइन आना होगा।

9. निदेशक (कार्यान्वयन) ने बताया कि 78 पंजीकृत कार्यालयों में से 11 की रिपोर्ट नहीं आयी है, बहुत से कार्यालय अंग्रेजी में रिपोर्ट भेजते हैं। सुझाव यह है कि विभागों के नाम व पते की जानकारी द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। जो भी जानकारी वेबसाइट पर डालें, उसे द्विभाषी रूप में डालें। इसके अलावा वार्षिक कार्यक्रम में जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाएं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए।

10. सचिव (राजभाषा) ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें पूरी तरह से कार्यकारी हों । औपचारिकता के स्थान पर राजभाषा से संबंधित समस्त बिंदुओं पर प्रशासनिक कार्यवाही हो ।

11. निदेशक (कार्यान्वयन) ने बताया कि राजभाषा नीति के प्रावधानों और वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम के अनुरूप सही आंकड़ें भेजें, जो विभाग समय पर तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, उनके अंक कम हो जाते हैं ।

इसके पश्चात उपस्थित अधिकारियों के साथ खुली चर्चा शुरू हुई :

12. श्री परमानंद आर्य, संयुक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि हम लोगों की क्षमता अनुवाद में ही खर्च हो जाती है और बाकी चीजों में कम समय दे पाते हैं। वार्षिक लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं उसे तय करने में राजभाषा के लोगों के अलावा अन्य कार्मिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लक्ष्य बहुत ज्यादा निर्धारित होता है। हमारी सलाहकार समिति में जो बैठक होती हैं, उसमें ऐसे लोग नामित होते हैं जिनका राजभाषा के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वे इससे अनभिज्ञ होते हैं। वह राजभाषा के कामों में अड़चने लगाने में लगे रहते हैं । 4 रिक्त पद हैं । कंसलटेंट से काम चलाया जा रहा है।

13. श्री मनोज कुमार आबूसरिया, उप निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि हमारे यहां अच्छा काम हो रहा है । पिछले 3 साल पहले कार्यभार संभाला है । वहां पर पत्राचार का स्तर 5 प्रतिशत था, आज 40 प्रतिशत है । इसके साथ ही इन्नोवेटिव काम किया है। 14 सितम्बर को "राजभाषा सहायिका" के नाम से एक संकलन तैयार किया है। डोमेन से संबंधित "राजभाषा सहायिका" से संबंधित जो प्रारूप है, अंग्रेजी से हिंदी में 1000 से 1500 शब्द सीबीआई बुलेटिन पत्रिका में हैं। हमारी समस्या अधिकारियों की समझ में आनी चाहिए इसके लिए विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया जाए ।

14. श्री नरेश कुमार, निदेशक, डाक विभाग ने बताया कि वर्तमान में 4 पद रिक्त हैं। देश में एक लाख पचपन हजार डाकघर हैं। प्रस्तावित पोस्टल बैंक ऑफ इंडिया देश के प्रत्येक जिले में कार्यरत होगा। सुझाव यह है कि "क" क्षेत्र में जो लोग हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई भी की जानी चाहिए । प्रेरणा और प्रोत्साहन ही पर्याप्त नहीं है ।

15. सचिव (राजभाषा) ने बताया कि संवर्ग में नियुक्तियों/प्रोन्नतियों को गति दी जाएगी । कोर्ट केस के निवारण हेतु विशेष प्रयास जारी हैं । फिलहाल, आप आउटसोर्स/सेवानिवृत्त कार्मिकों को नियमानुसार सलाहकार के रूप में लेकर यथावश्यक काम चलाएं, जब तक कि नियमित स्टाफ नियुक्त नहीं होते । डाक विभाग में सारा बैंकिंग काम साफ्टवेयर से हिंदी में हो, ऐसा प्रयास करें। ट्रेनिंग हेतु आपके अनुरोध को तत्काल यहां से पूर्ण किया जाएगा ।

16. श्री रमेश बाबू अणियेरी, निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि आर्थिक कार्य विभाग में अनुवाद बहुत है । बजट संबंधी 1500 पेजों की आर्थिक समीक्षा, मंत्रिमंडल नोट, फारेन बिल, डिमांड फार ग्रांटस हैं। यहां पर 7 अनुवादकों के पद खाली हैं। सलाहकार समिति की बैठक अगस्त में की थी।

17. महेश चंद्र भारद्वाज, उप निदेशक, केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि जुलाई में हिंदी सलाहकार समिति की मीटिंग हुई थी। मंत्री जी ने कहा कि पहले काम हिंदी में करें, सारा काम मूलत: हिंदी में हो ।

18. सचिव (राजभाषा) महोदय ने कहा कि मानसिकता परिवर्तन आवश्यक है । आप सब नियमित रूप से छोटे-छोटे वर्कशाप करें ताकि हिंदी के कार्य करना सरल लगने लगे ।

19. सुश्री निहारिका सिंह, उप निदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने बताया कि हमारा मंत्रालय रिसर्च पर आधारित है। 5 स्कीमों पर काम होता है, साइंटिस्ट लोग काम स्कीम के द्वारा कर रहे हैं तो हम कोई डाटा दे नहीं पाते हैं। हम सीएसआईआर के अधीन रिसर्च प्रोग्राम करते हैं। हिंदी में आंकड़ा नहीं होता है। राजभाषा ने 100 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है । अनुभागों में 100 प्रतिशत लक्ष्य देना बहुत कठिन हो जाता है इसलिए इसमें छूट दी जानी चाहिए। राजभाषा विभाग हमें तिमाही प्रगति रिपोर्ट संशोधन करके एक बार हमें समझा दें। ई-मेल हम कैसे काउंट करें ?

20. सचिव (राजभाषा) ने बताया कि कृपया गलत डाटा न दें । आप लोगों को प्रेरित करें तो लोग बात समझेंगे, अपने डोमेन में एक मिशन बनाकर काम करें। बहुत सारी स्कीमें हैं । विज्ञान में मौलिक काम अनुसंधान का है मौलिक रिसर्च व हिंदुस्तानी का प्रयोग साथ-साथ बढ़ेगा । राजभाषा हिंदी वस्तुत: समावेशी है । अत: अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के उपयोगी शब्दों को ग्रहण करना उचित होगा ।

21. डॉ. माधुरी गुप्ता, उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बताया कि जबसे मैंने कार्यभार संभाला है, मूल पत्राचार बढ़ा है । फाइलों पर टिप्पणियां 75 प्रतिशत हो गई हैं, पहले न के बराबर थीं। अधीनस्थ कार्यालय हिंदी पखवाड़ा नहीं मनाते थे। हमारे विभाग का लोगो द्विभाषी नहीं था, उसे द्विभाषी बनाया जा रहा है। एक कार्यालय दिग्दर्शिका बनाई है, जिसमें कार्यालय के सारे परिपत्र और पत्र हैं, वह कार्यालय दिग्दर्शिका छपने हेतु गई है। स्वापक

संबंधी विषयों पर एक पुस्तक बनाई जा रही है, लेकिन हमारे पास मौलिक पुस्तक लेखन हेतु एंट्रियाँ नहीं आ रही हैं, टाइपिस्ट नहीं है । ट्रांसलेटर से ही आशा करते हैं कि वे टाइप करें । हमारे अधीनस्थ कार्यालय में हिंदी का पद नहीं है, वहां कठिनाई आ रही है। यदि पद बना दिए जाएं तो अच्छा होगा। एक सुझाव यह भी है कि मंत्रालयों/विभागों में शब्दावली में एकरूपता बनाई जाए।

22. डा. राकेश कुमारी, उप निदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि उनके मंत्रालय में पद खाली हैं, जिससे मंत्रालय के कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रेग्युलर अधिकारी मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। हमें कंस्लटेंट नहीं मिलते और मिलते हैं तो उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते । क्योंकि जब कोई सेवानिवृत्त होता है तो वह अपना काम स्वयं ही ढूंढ लेता है। कंसलटेंट का एक फिक्स पैसा नहीं है एक पत्र भेजा जाए कि कंसलटेंट की सूची राजभाषा विभाग की साइट पर है, हम स्वयं संपर्क करके अपने मंत्रालय में कंसलटेंट रख सकते हैं।

23. सुश्री तरुणा जंगपांगी, संयुक्त निदेशक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि उनके विभाग में उप निदेशक, सहायक निदेशक और एक अनुवादक का पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि अनुवादक अनुवाद का काम करें और कार्यान्वयन का काम अलग से हो। क्योंकि दोनों कार्य करने में वह आउटपुट नहीं मिल पाता है । हमने ऐसी पहल की है जिसमें अनुभाग अधिकारियों से लेकर मंत्री तक हिंदी कार्यशाला में आये हैं। हमारे संवर्ग के लोग पदोन्नत होते हैं, उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है । उनको भी भाषायी ट्रेनिंग दें।

24. सुश्री किरण भारद्वाज, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय ने बताया कि सीजीएचएस मेडिकल से जुड़ा काम है लेकिन हम अधिक से अधिक काम हिंदी में करते हैं। हमारे यहां जो अनुभाग अधिकारी अधिक से अधिक काम हिंदी में करते हैं हम उन्हें सराहना पत्र जारी करते हैं। जिन अनुभागों में हिंदी का काम कम होता है हम उन्हें अनुरोध पत्र भेजते हैं कि हिंदी में काम करें। हमारी कार्यशाला नियमित रूप से हो रही है । 2 पद रिक्त हैं हम कंसलटेंट्स रख सके ऐसा पत्र जारी किया जाए ताकि अपने सचिव / अपर सचिव महोदय को दिखा सकें कि ऐसी व्यवस्था की जा सकती है।

25. सुश्री मंजुला मेहता, उप निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि धारा 3 (3) का पालन हो रहा है और नियम -5 का अनुपालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। 4 पद रिक्त् हैं । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से हो रही है। अनुवाद का काम काफी मात्रा में आता है। जो अनुवादक परम्परागत हिंदी में काम करते हैं, उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था हो। बाकी अनुवादक को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा।

26. श्री हरकेश मीणा, उप निदेशक, विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारी मंत्री महोदया हिंदी पर बहुत जोर देती हैं। हमारा मंत्रालय भारत सरकार का पहला ऐसा मंत्रालय है जिसने संयुक्त सचिव (हिंदी) का पद बनाया है। पासपोर्ट मैनुअल द्विभाषी रूप में बनाया गया है। संसदीय राजभाषा समिति जब पासपोर्ट आफिस जाती है आभार व्यक्त करती है। हमारी वेबसाइट द्विभाषी जारी हो गई है।

27. श्री प्रभुदत्त भारद्वाज, संयुक्त निदेशक, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमारे यहां बहुत से पद रिक्त पड़े हैं। अनुवाद का काम बहुत ज्यादा है, अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारे इन पदों को भरा जाए।

28. श्री गिरीशचंद्र पाण्डेय, उप निदेशक, संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि हिंदी का काम ठीक ढंग से चल रहा है। हिंदी का काम संयुक्त सचिव स्वयं देखते हैं। हमारे संयुक्त सचिव हिंदी के अच्छे जानकार हैं उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। अभी संस्कृति मंत्रालय पुरस्कार योजना में 2013-2014 वर्ष हेतु लोगों को पुरस्कृत कर चुका है। वर्ष 2015-16 के पुरस्कार हेतु लेख आमंत्रित करने हेतु वेबसाइट पर डाली है। आप सब लोग किताब भेजें, हमारे यहां 6 महीने में संस्कृति पत्रिका भी निकलती है। संस्कृति पत्रिका हेतु लेख भेजें। अपने स्टाफ से कहा है कि कोई भी पत्र अंग्रेजी में तैयार न करके, टूटी-फूटी हिंदी में ही बना दें, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। हमारी 24 घंटे की सेवा है, हमारा समर्पण भाव है हमारी वेबसाइट द्विभाषी है। लक्ष्य पूरा नहीं होता है, मुश्किल से आंकड़े आते हैं यह खोखलापन है। कंसलटेंट को हतोत्साहित किया जाए। अनुवादकों हेतु भी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एक्जाम कराया जाए। इसमें इंटरव्यू न हो।

29. श्री आनंद प्रकाश मिश्रा, उप निदेशक, मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय ने कहा कि श्रम मंत्रालय में हिंदी के पद खाली हैं । पदों को शीघ्र भरा जाए ।

30. श्री पी. सी. विश्वकर्मा, उप निदेशक, कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय ने कहा कि सचिव महोदय ने प्रेरित करते हुए एक बात रखी कि हम लोग अंबेसडर हैं लेकिन यह व्यावहारिक तभी होगा जब सचिव महोदय की ओर से एक पत्र जाए और दिशा-निर्देश जाए । हमारे संवर्ग के कुछ कर्मचारी या तो स्वेच्छा से या जानबूझकर दूसरे विभाग में चले जाते हैं, ताकि अनुवाद कार्य से बचे रहें, देर तक रूकने से बचें, कैबिनेट नोट, संसदीय प्रश्नों के अनुवाद से बचें । कुछ लोग हमारे कर्मचारियों को अन्य जगहों पर तैनात कर देते हैं। इस तरह से पत्र या दिशा-निर्देश दें कि कोई भी कर्मचारी दूसरे अनुभागों में न बैठे।

31. श्री वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक, विधायी विभाग ने कहा कि मैं वर्ष 2013 से वित्तीय सेवा विभाग में था । इस दौरान पुस्तकें छापीं, जनधन योजना तक का कार्य किया । विधायी विभाग के कार्यक्रम से हिंदी और हिंदी भाषियों के मध्य सेतु का निर्माण हुआ है।

बैंकों के जन धन योजना का कार्य हमने किया है, कुछ शब्दावलियां भी तैयार की हैं। दक्षिण भारत भाषाओं की विकास समिति है। उत्तर भारत का जो व्यक्ति बैंक में है 15 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम सब उत्तर या दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें।

32. हमारे एक कर्मठ साथी श्री कुंवर सिंह का स्वर्गवास हो गया है, उनके सम्मान में मौन रखा जाए ।

सचिव (राजभाषा) ने कहा कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन शुरू किया जाए।

33. सभी ने जो डोमेन संबंधी विशिष्ट कार्य किया है, जो भी शब्दावलियां आदि बनाई हैं उसकी प्रतियां भेजें ।

34. श्री राकेश दूबे, उप निदेशक, व्यय विभाग ने बताया कि जितने भी हमारे साफ्टवेयर हैं उनके मोबाइल एप्पस बनायें जाएं । जितने भी मोबाइल/कंप्यूटर कंपनियां बना रही हैं उनमें भारतीय भाषाओं को डाला जाए। जितने ऐप निर्माता हैं उनके लिए भी आदेश जारी कर दिए जाएं कि इसके की - बोर्ड द्विभाषी हों। भारत सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले कंप्यूटरों के की- बोर्ड दोनों भाषाओं में छपे होने चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो। मंत्र ट्रांसलेटर के साफ्टवेयर द्वारा ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है। मशीनी ट्रांसलेशन में ऐक्यूरेसी नही है।

35. निदेशक तकनीकी (एनआईसी) ने सचिव (राजभाषा) को सूचना दी कि की-बोर्ड द्विभाषी छपने शुरू हो गए थे लेकिन मार्केट में (बाईलिग्वल) द्विभाषी की-बोर्ड की डिमांड न होने के कारण कंपनियों ने बनाने बंद कर दिये हैं।

36. सुश्री अवनेश कुमारी शर्मा, उप निदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि पिछले 2 वर्ष से 4 अधिकारियों का काम अकेले कर रही थी। अभी मुझे आई एंड बी से एक सहायक निदेशक मिल गया है, उसके लिए धन्यवाद।

37. सुश्री सुनिति शर्मा, उप सचिव (हिंदी), विदेश मंत्रालय ने बताया कि राजभाषा नीति के कार्यों के साथ-साथ विदेश में भी हिंदी के प्रचार-प्रसार के काम में लगी हूं। दो विश्व हिंदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अफ्रीका एवं भोपाल में हमनें आयोजित किए हैं ।

38. श्री सादर सिंह, उप निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि 1991 से सहायक निदेशक हूं। विभिन्न विभागों में बहुत अच्छा काम किया है। मई में रिटायर हो रहा हूं। राजभाषा विभाग का अहम काम है । इंप्लीमेंटेशन का काम यहां से शुरू होता है, यदि टाइम से पदोन्नति हो तो आत्मबल बढ़ता है । मंत्रालय को एक अनुवादक दिया गया था लेकिन

उसका डोजियर वापस कर दिया गया है। 57 प्रतिशत काम हो गया है। "पंचवाणी पत्रिका" शुरू कर दी है।

39. सुश्री ऋचा बनर्जी, संयुक्त निदेशक, आकाशवाणी महानिदेशालय ने बताया कि मीडिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आकाशवाणी है । 517 अधीनस्थ कार्यालयों का कार्य देख रही हूं। अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में शत प्रतिशत काम हिंदी में किया जा रहा है। मेरे द्वारा जो भी प्रसारण कार्य किए जा रहे हैं वे हिंदी में ही किए जा रहे हैं, "मन की बात" का प्रोग्राम कर रही हूं। मैं नराकास की सदस्य सचिव हूं, पदोन्नति नहीं हो रही है । कृपया इसे देखें ।

40. श्री अमित प्रकाश, उप निदेशक, दूरसंचार विभाग ने बताया कि जो हिंदी के स्टेनोग्राफर हैं उनकी पोस्टिंग और कहीं कर दी जाती है। वे अंग्रजी सीख रहे हैं। हमारे स्टेनोग्राफर उच्च अधिकारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। हम हिंदी में ट्रेनिंग करते हैं। 10 से ज्यादा पद खाली हैं । जब हिंदी सलाहकार समिति में जाते हैं, वहां मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण होता है, प्रश्नावली होती है, उसके अनुरूप हम अपनी प्रश्नावली बना सकते हैं ।

41. सुश्री ऊषा बिंजोला, उप निदेशक, संघ लोक सेवा आयोग ने बताया कि तिमाही बैठक में हिंदी ब्रांच के सभी कंप्यूटरों के लिए इंटरनेट तथा हेडफोन के लिए आदेश दे दिया है। कार्यशाला की राशि बढ़ाई जाए, अभी 500 रुपये मिलते हैं ।

42. श्री रामचन्द्र रमेश आर्य, संयुक्त निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया कि कारपोरेट मंत्रालय में मैंने जीरो से काम शुरू किया है, 20 से 25 प्रतिशत तक ले आया हूं। डेढ़ साल बाद मुझे भेजा है, हम लोगों को समय पर प्रमोशन कर दिया जाए।

43. श्री सुबोध कुमार, संयुक्त निदेशक, कोयला मंत्रालय ने बताया कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी का ज्ञान अच्छा है लेकिन हिंदी की फाइलों के अलावा किसी अन्य फाइल में हिंदी नहीं लिखी जाती हैं। यह सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश से अधिकारी आते हैं लेकिन दिल्ली में आकर हिंदी में काम नहीं करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति विज्ञापनों पर 50 प्रतिशत खर्च हिंदी पर किए जाने पर बल देती है । हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञापन राशि बराबर नहीं हो सकती । हिंदी व अंग्रेजी में विज्ञापनों की संख्या बराबर हो न कि राशि । अनुवादकों की प्रशिक्षण के बाद ही तैनाती की जाए। राजभाषा कैडर में अनुवादकों के लिए प्रशिक्षण नहीं है, जैसे कि अन्य कैडर में आईएसटीएम में की जाती है। इसे कैसे व्यवहारिक बनाया जाए। पुरस्कार आंकड़ों के आधार पर मिलते हैं । 90 प्रतिशत से ज्यादा ये सच्चाई के संभवत: द्योतक नहीं हैं।

44. श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय ने बताया कि जब से मंत्रालय में तैनाती हुई उसके बाद वहां पर कार्यरत सहायक निदेशक का तबादला कर दिया गया है। कुछ पद रिक्त हैं ।

45. श्री रमेश आर्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया कि महोदय, मैं तेलगुभाषी हूं, तेलंगाना का हूं। 5 सालों में मेरा 3 बार ट्रांसफर हो चुका है। हमें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मंत्री जी, चेन्नई पहुंच रहे हैं । हवाई जहाज से फोन आता है कि हमें यह काम चाहिए, हम समय पर मेल करते हैं और वे चेन्नई में उतर कर भाषण देते हैं। मैं तत्परता से कार्य करता हूं। जब से नई सरकार आई है मैंने सूर्यास्त नहीं देखा है, मेरा रिकार्ड देख सकते हैं। कोई छुट्टी नहीं ली है । मंत्रालय से कोई सहयोग नहीं मिलता है। आप हमें बताएं उसके बाद जो भी आप निर्णय लें, हमें मान्य है।

46. सुश्री रचना गुप्ता, संयुक्त निदेशक, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि बहुत वर्षों से दबे विचार बाहर निकलने को मचल रहे हैं। छोटी सी झलक पुस्तक में दी है। वेबसाइट 80 प्रतिशत हिंदी में हो चुकी है । आपसे करबद्ध प्रार्थना है और बहुत आशाएं हैं कि पदोन्नति जल्दी हो जाए।

47. सुश्री रमा वर्मा, उप निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि जैसी मीटिंग अब हुई है, वैसी हर महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए।

48. श्री चरण सिंह, उप निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि काम ज्यादा है, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है कि सूर्यास्त नहीं देख पाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत बड़ा है। हम पूरे देश को जोड़ रहे हैं, जहां भी हमारे संस्थान हैं । हम हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं ।

49. श्री रामनरेश त्रिपाठी, उप निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि सरकारी कार्यों में तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है। अप्रैल, 2017 में सेवानिवृत्त हो रहा हूं।

50. सुश्री पूर्णिमा शर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अनुवादकों के सामने विभिन्न तरह के काम आ जाते हैं जैसे साइंस संबंधी । उसकी भी एक समय-सीमा है । कंसेप्ट क्लीयर होगा तभी काम कर पाएंगे । ऑन लाइन डिक्शनरी भी देखते हैं लेकिन कभी - कभी सही शब्द नहीं मिल पाता है। कामिल बुल्के की किताब का प्रयोग करते हैं।

51. श्री ओमप्रकाश, उप निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । 2 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर व चंडीगढ़ में हैं । वहां स्टाफ की कमी है, कनिष्ठ अनुवादक का पद भरा जाए।

52. श्री बृजभान, उप निदेशक, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि हर कार्यालय में हिंदी के काम से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। हमारे कार्यालय के सभी लोग हिंदी की स्थिति से पूर्णत: अवगत हैं। डीपीसी समय पर नहीं होने के कारण एलिजिबिलिटी नहीं होती है। वर्ष 2015 में जो भर्ती नियम बने हैं वे हमारे लिए पहले से ज्यादा खराब रहे

हैं। रेग्युलर सर्विस की बजाय अप्रूव्ड सर्विस कर दी जाए तो सारे पात्र हो जाएंगे। भर्ती नियमों का मसौदा लगभग तैयार है और उसके लिए आप पब्लिक कमेंटस के लिए वेबसाइट पर डाल दें।

53. संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने अवगत कराया कि जिन मंत्रालयों के अधिकारी यहां नहीं आये हैं, उनको एक पत्र भेजकर पूछा जाए कि वे क्यों नहीं आए, हम उन्हें पुन: बुलाएँगे। वार्षिक लक्ष्य जो होता है वह ऊंचा होना चाहिए। आप 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि दे रहे हैं, हम किस ग्राउंड पर लक्ष्य कम करेंगे, आप समझने की कोशिश करें। इसे कम करना तभी संभव होगा जब आप कहेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है या उपलब्धि कम है । अभी "ग" क्षेत्र में काम और करें और वास्तविकता की ओर बढ़ें । मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि आप गलत आंकड़े कतई न भेजें।

54. रिक्त पदों को भरा जाना, सबको पदोन्नति देना मुख्य विषय है। समय से पदोन्नति देना सबसे पहली चीज है। आज की स्थिति का सबसे पहला कारण था, तदर्थ आधार पर पदोन्नति की परंपरा। आज आप फिर कहते हैं कि तदर्थ आधार पर पदोन्नति दें, यह परम्परा ही गलत है। तदर्थ सेवा में आपका पीरीयड काउंट नहीं हुआ, आप भी खुश होकर बैठे रहे कि पैसा तो मिल ही रहा है । लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि आपका वह पीरीयड काउंट नहीं हुआ। यही कारण है कि आज बहुत से लोग नियमित पदोन्नति के पात्र नहीं हैं। कुछ लोग तदर्थ की परंपरा शुरू करने की बात कह रहे हैं फिर वही बात होगी। हमने तदर्थ खत्म कर नियमित पदोन्नति किए जाने की परंपरा शुरू की है और कर भी रहे हैं। हमारे सचिव महोदय नियमित रूप से इसकी 15 दिन पर समीक्षा कर रहे हैं। भर्ती नियम के रिवीजन हेतु हम काम कर रहे हैं। भर्ती नियमों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर डाल रहे हैं।

55. हम चाहते हैं कि जो मामला हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजें, वह इतनी अच्छी तरह से भेजें कि एक बार में फाइल स्वीकृत हो जाए । प्रस्तावित संशोधित भर्ती नियम सचिव के मूल्यांकन हेतु प्रेषित हैं, जैसे ही तैयार हो जाएंगे, इन्हें राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा तथा आपकी प्रतिक्रिया ली जाएगी । जैसा कि सचिव महोदय ने कहा है कि राजभाषा के कार्यों को साझा करें व जो भी चीजें आपने अच्छी की हैं, उन्हें अन्य विभागों व राजभाषा विभाग को भेजें । साथ ही, इन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।

56. जहां तक मामला संयुक्त सचिवों को बैठक में बुलाने का है, हमने अपनी बैठकों में इन्हें बुलाया है। अधिक पद हम भर नहीं पा रहे हैं । संवर्ग में करीब 1025 अधिकारियों/कार्मिकों के स्वीकृत पद हैं, इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध, हमारे पास इस समय महज 60-65 प्रतिशत कार्यरत स्टाफ उपलब्ध है । अभी हम इससे उपर जा नहीं सकते । कर्मचारी चयन आयोग से 31 कनिष्ठ अनुवादक आ रहे हैं। हम उनकी पोस्टिंग करने जा रहे हैं । हमारे यहां संघ लोक सेवा आयोग से सहायक निदेशक आने वाले हैं। अगर 10 जनवरी, 2017 को यह केस समाप्त हो जाता है और जैसे ही कोर्ट केस समाप्त हो जाता है,

आपको नए सहायक निदेशक मिल जाएंगे । तभी 81 सहायक निदेशक/वरिष्ठ अनवादकों की पदोन्नति कर पाएंगे ।

57. पदोन्नति के सारे मामले चल रहे हैं। कार्मिकों की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट मंगवाई जाने की कारर्वाई चल रही है । आप लोगों के साथ बैठक करना और सचिव महोदय द्वारा इसकी अध्यक्षता करना यह दर्शाता है कि हम कितने पारदर्शी हैं और कितनी गंभीरता से इस पर काम करना चाहते हैं । लेकिन मैं एक गुजारिश और आपसे करना चाहता हूं कि हमने स्थानांतरण की पारदर्शी नीति बनाई है । अब संवर्ग के किसी भी अधिकारी/कार्मिक के तीन वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने या विभाग द्वारा किए गए स्थानांतरण/तैनाती के आदेशों को बदलने के अनुरोध को सामान्यत: स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो भी अधिकारी/कार्मिक इन आदेशों का अनुपालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । किसी अधिकारी/कार्मिक को जिस मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय से स्थानांतरित कर अन्य जगह तैनात किया गया है, उसे फिर से उसके स्थानांतरित किए गए मंत्रालय/विभाग या कार्यालय में तैनात नहीं किया जाएगा ।

58. डाक विभाग और अन्य मंत्रालय जो भी सहयोग मांगेंगे, हम सहयोग करेंगे । तिमाही प्रगति रिपोर्ट के बारे में कहूंगा, जब भी कोई संशोधन करें आप राजभाषा विभाग को सूचित करें या उसे आन लाइन करें ।

59. जहां तक पदों के सृजन का कार्य है उसके लिए मंत्रालय/विभाग स्वतंत्र है । आप जो भी पद सृजित करें वहां पर हम स्वीकृति देने को तैयार हैं । शब्दावली के लिए जैसे कि सचिव महोदय ने कहा है आप अपने यहां एक डोमेन बनाए तकनीकी शब्दों का शब्दकोश बनाए तथा उसे प्रशिक्षण द्वारा प्रचलन में लाएं ।

60. सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवादक में जिसकी भी पदोन्नति होगी उसके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है । कंप्यूटर पर हिंदी कार्य को प्रोत्साहन दें । हिंदी शिक्षण को रोजगार से जोड़े, विदेशों में नराकास हो । कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2016 की 95 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरने हेतु प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजभाषा विभाग को सुदृढ़ व सशक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है ।

61. सचिव (राजभाषा) ने सभी का आभार व्यक्त किया । आप सभी के साथ चर्चा आगे भी जारी रहेगी । इस बैठक से बहुत कुछ सोचने को मिला है। बहुत चुनौतियां हैं, आपके वक्तव्यों से यह संप्रेषित हुआ है । गहराई में जाकर मैं भी अनुभव कर रहा हूं। हम लोग एक ही परिवार के हिस्से हैं, इसमें हमें बहुत सारे काम मिल - जुलकर करने हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण व उपयोगी विचार प्रस्तुत किए गए हैं । मैं आश्वस्त हूं कि इन पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही होगी तथा बेहतर परिणाम निकलेंगे।

62. तदुपरांत सचिव (राजभाषा) महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के उपस्थित अधिकारीगण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती
1	नरेश कुमार	**निदेशक** (राजभाषा)	डाक विभाग
2	रमेश बाबू अणियेरी	निदेशक (राजभाषा)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
3	जय प्रकाश कर्दम	निदेशक (राजभाषा)	केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान
4	राकेश कुमार द्विवेदी	निदेशक (राजभाषा)	शहरी विकास मंत्रालय
5	श्री वेद प्रकाश गौड़	निदेशक (राजभाषा)	संस्कृति मंत्रालय
6	प्रभुदत्त भारद्वाज	निदेशक (राजभाषा)	रक्षा मंत्रालय
1	सुश्री किरण भारद्वाज	**संयुक्त निदेशक** (राजभाषा)	स्वाथ्य सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2	श्री परमानंद आर्य	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
3	डॉ0 वेद प्रकाश दुबे	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	विधायी विभाग
4	सुश्री ऊषा बिंजोला	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	संघ लोक सेवा आयोग
5	सुश्री तरुणा जंगपांगी	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
6	सुश्री सुनीति शर्मा	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	विदेश मंत्रालय
7	सुश्री ऋचा बैनर्जी	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	आकाशवाणी महानिदेशालय
8	सुश्री पूर्णिमा शर्मा	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	प्रधानमंत्री कार्यालय
9	डॉ0 आर. रमेश आर्य	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	कारपोरेट मंत्रालय
10	श्री शैलेश कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	इस्पात मंत्रालय
11	श्री सुबोध कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	कोयला मंत्रालय
12	श्री बी.एल. वर्मा	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1	श्री हरकेश मीणा	**उप निदेशक** (राजभाषा)	विदेश मंत्रालय
2	श्री पूरन चन्द्र विश्वकर्मा	उप निदेशक (राजभाषा)	प्रशिक्षण निदेशालय,
3	सुश्री मंजूला मेहता	उप निदेशक (राजभाषा)	नागर विमानन मंत्रालय
4	श्री महेश चन्द्र भारद्वाज	उप निदेशक (राजभाषा)	जल संसाधन मंत्रालय
5	श्री मोहन चन्द्र मिश्रा	उप निदेशक (राजभाषा)	रक्षा मंत्रालय
6	श्री आनंद प्रकाश मिश्रा	उप निदेशक (राजभाषा)	मुख्य श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रम मंत्रालय
7	श्री गिरिश चन्द्र पाण्डे	उप निदेशक (राजभाषा)	संस्कृति मंत्रालय
8	श्री मनोज आबूसरिया	उप निदेशक (राजभाषा)	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
9	सुश्री निहारिका सिंह	उप निदेशक (राजभाषा)	विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
10	सुश्री माधुरी गुप्ता	उप निदेशक (राजभाषा)	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय
11	श्री अवनेश शर्मा	उप निदेशक (राजभाषा)	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

12	डॉ0 राकेश बी. दुबे	उप निदेशक (राजभाषा)	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
13	डॉ0 राकेश कुमारी	उप निदेशक (राजभाषा)	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
14	श्री चरण सिंह	उप निदेशक (राजभाषा)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15	सुश्री रमा वर्मा	उप निदेशक (राजभाषा)	शहरी विकास मंत्रालय
16	सुश्री रचना गुप्ता	उप निदेशक (राजभाषा)	भारत निर्वाचन आयोग
17	श्री विजय सिंह मीना	उप निदेशक (राजभाषा)	विधि कार्य विभाग
18	श्री राम नरेश त्रिपाठी	उप निदेशक (राजभाषा)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
19	श्री अमित प्रकाश	उप निदेशक (राजभाषा)	दूरसंचार विभाग
20	श्री सादर सिंह	उप निदेशक (राजभाषा)	पंचायती राज मंत्रालय
21	श्री बृजभान	उप निदेशक (राजभाषा)	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
22	श्री ओम प्रकाश	उप निदेशक (राजभाषा)	कर्मचारी चयन आयोग